कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/माध्य–द/22492/प्रवेशोत्सव/2019–20/337 दिनांक :10.07.2020

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।

विषय :– नामांकन वृद्धि, तथा अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों एवं कोविड–19 के कारण प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान (1 से 15 जुलाई, 2020) के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश।

प्रसंग :– राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, का पत्रांकः रास्कूशिप/जय/वै.शि /प्रवेशो./2020–21/12707 दिनांकः 03.07.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य में 0 से 18 वर्ष तक के समस्त बालक–बालिकाओं को चिन्हित कर 3 से 18 आयु के बच्चों को उनकी आयु अनुरूप आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़ा जाना है। इसके लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करते हुये निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करे कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों एवं कोविड–19 के कारण प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर दिनांक 1 से 15 जुलाई 2020 तक प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का अयोजन किया जावें।

संलग्न दिशा–निर्देश अनुरूप कार्ययोजना बनाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि आंग्नबाड़ी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक–बालिका अनामांकित न रहे। साथ ही विद्यालय स्तर पर 0 से 18 वर्ष तक के सभी बालक–बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जावें।

संलग्न :– यथोपरि।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद।
9. विकास अधिकारी, समस्त पंचायत समिति।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
11. उप निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा ।
12. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा।
13. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर/सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
14. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
15. वरिष्ठ सम्पादक 'शिविरा', प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
16. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
17. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान, समस्त राजकीय विद्यालय।
18. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Scanned with CamScanner

नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान के संबधं में विस्तृत दिशा–निर्देश सत्र 2020–21

1. प्रस्तावना

1.1 हमारा संविधान 14 वर्ष तक के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का आधार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा से जुडी प्राथमिक आवश्यकताओं यथा विद्यालय की पहुंच तथा नामांकन के लक्ष्य को काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन अभी बहुत से बच्चे ऐसे है जो विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं पहुंच पाये है अथवा किन्ही कारणों से विद्यालयों में उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। ऐसे सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने एवं प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

1.2 गत वर्षो में शिक्षा विभाग द्वारा चलाये गये प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों शिक्षक,कार्मिक, एवं अभिभावकों द्वारा दिये गये सहयोग से विभाग ने नामांकन वृद्धि में उत्साहजनक सफलता प्राप्त की है। 3 वर्ष 18 वर्ष के समस्त बालक/बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ–साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। **शैक्षिक सत्र 2020–21 में कोविड–19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए इस कार्य के लिए एक वृहद् कार्य योजना बनाकर प्रत्येक विभाग एवं प्रत्येक स्तर पर कार्य किये जाये एवं पूर्व नामांकन तथा ठहराव के लक्ष्य अर्जित करने वाली संस्थाओं संस्थाप्रधानों, शिक्षक एवं अन्य सहयागियों को प्रोत्साहित किया जायें।**

1.3 शत–प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं शून्य ड्रॉप आउट वाली ग्राम पंचायतों को **"उजियारी पंचायत"** के रूप में चिन्हित किया जायेगा, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक् से जारी किए जायेंगे ।

1.4 वर्ष 2019–20 में निदेशालय प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी नामांकन वृद्धि/प्रवेशोत्सव दिशा निर्देश जारी किये गये थे, समस्त बालक–बालिकाओं की पहचान की जाकर विद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड का संधारण किया जाना था। सत्र 2020–21 में प्रवेशोत्सव अभियान अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के दौरान गत सत्र में संधारित रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाकर इस वर्ष 3 वर्ष की आयु प्राप्त समस्त बच्चों को आंगनबाड़ियों में नामांकित किया जाना हैं । 0 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों को चिन्हित किया जाकर 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ियों एवं 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने हेतु समस्त कार्यालयों एवं विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किये जाने आवश्यक है–

1.4.1 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं की पहचान की जाकर रिकॉर्ड संधारित किया जाना एवं विगत वर्ष के सर्वे रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाना।

1.4.2 चिन्हित बालक–बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेशित किया जाकर शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करना।

1.4.3 3 से 18 वर्ष के बालक–बालिकाओं को विद्यालयों से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर कार्य योजना बनाकर हाउस होल्ड सर्वे द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसार चिन्हित करना एवं चिन्हित समस्त बच्चों के विद्यालयों से नहीं जुड पाने अथवा ड्रॉप आउट होने के कारण पता लगाकर उसी के अनुसार कार्य योजना बनाकर ऐसे बालक–बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जाना।

Scanned with CamScanner

1.4.4 समस्त अभिभावकों/ग्रामवासियों/स्थानीय निवासियों को बालक–बालिकाओं हेतु शिक्षण प्रोत्साहन से सम्बन्धित विभिन्न विभागीय योजनाओ की जानकारी उपलब्ध करवाना।

2. प्रवेशोत्सव के दौरान विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित कार्यो का विवरण

2.1 विद्यालय स्तर पर किये जाने वाले कार्य

2.1.1 नामांकित /ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं हेतु

i. आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हिकरण हेतु सीआरसी द्वारा अपने अधीनस्थ विद्यालयों को शामिल करते हुये वार्डवार अध्यापकों की नियुक्ति कर हाउस होल्ड सर्वे किया जाना है।

ii. वार्डवार नियुक्ति अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली एवं हाउस होल्ड के आधार पर सर्वे किया जाकर 0 से 18 वर्ष के चिन्हित अनामांकित बालक–बालिकाओं की सूची तैयारी की जायेगी।

iii. **उपरोक्त के अतिरिक्त सर्वे के दौरान बस स्टैण्ड, निमार्णाधीन भवन, गांव के बाहर कोई छोटी बस्ती, ढाणी, मजरा, पुरबा, खेत पर रहने वाले परिवार, मौसमी पलायन, कोविड के कारण प्रवासी मजदूरों के परिवार को भी सम्मिलित किया जाकर बालक–बालिकाओं को चिन्हित एवं सूचिबद्ध किया जायेगा।**

iv. हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित 3 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को आगंनबाड़ियों, विद्यालयों, स्टेट ओपन, पत्राचार पाठ्यक्रमों अथवा अन्य शैक्षिक संस्थानों से आयु अनुरूप कक्षाओं में जोड़ा जायेगा। आंगनबाड़ियों एवं राजकीय विद्यालयों में प्रवेश योग्य समस्त बालक–बालिकाओं का विवरण निर्धारित प्रपत्रानुसार शाला दर्पण पर OoSc मॉड्यूल में प्रविष्ट किया जायेगा।

v. हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शाला दपर्ण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना है। इन बच्चों में से विद्यालयों में नामांकित किये गये बच्चों को शाला दपर्ण पोर्टल पर नवप्रवेशित मॉड्यूल में आयु अनुसार प्रवेश से प्रविष्ट किया जाना है। जिन बच्चों को किन्हीं कारणों से विद्यालय में तुरन्त नामांकित नहीं किया जा सकता है, ऐसे चिन्हित बच्चों का विवरण OoSc मॉडूयूल में प्रविष्ट करना है।

vi. हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में पूर्ण किया जाकर चिन्हित बालक–बालिकाओं का उनके निवास स्थान के नजदीकी विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जावेंगा तथा आवश्यकतानुसार Condensed Course / Bridge Course के माध्यम से विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु अनुसार प्रवेशित कक्षा के स्तर पर लाया जायेगा।

2.1.2 पूर्व से विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु

i. विद्यालय में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं का अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत कक्षा 5, 8, 10 के विद्यालयों को निदेशालय प्रारम्भिक /माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेशानुसार वार्षिक परीक्षाओं के तुरन्त पश्चात् आगामी कक्षाओं में प्रोविजनली/अस्थाई तौर पर नामांकित किया जायेगा।

2.1.3 विद्यालय में अध्ययनरत/अनामांकित/डॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन हेतु किया जाने वाले अन्य कार्य

Scanned with CamScanner

i. एसएमसी/एसडीएमसी की अन्तिम दो बैठकों में सभी सदस्य एवं अभिभावकों को अपने बच्चों का राजकीय विद्यालयों में नामांकन बनाये रखने एवं अन्य अभिभावकों को नामांकन करवाने बाबत् प्रेरित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की जाये। **कोविड–19 से सुरक्षा के संदर्भ में राज्य सरकार से जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुये कार्यवाही की जाये।**

ii. विद्यालय 0 से 18 वर्ष आयु के समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं से सम्बन्धित सूचनाए निर्धारित प्रपत्र में अद्यतन रखी जायें।

iii. विद्यालय की निकटस्थ आंगनबाड़ी में नामांकित 5 या अधिक वर्ष के बालक–बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जावें।

iv. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशित किया जावे कि वह माताओं को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान पात्र बालक–बालिकाओं को आंगनबाड़ी एवं विद्यालय में नामांकित करवाने हेतु प्रेरित करें।

v. चिन्हित अनामांकित/ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय में नामांकित किये जाने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों से चर्चा की जाकर फीडबैक अनुसार ग्रामवासियों के सहयोग से समस्त बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने का प्रयास किया जावे। नामांकित बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण किया जावें। पंचायत के प्रमुख स्थानों यथा–पंचायत भवन, अटल सेवा केन्द्र, कृषि सेवा केन्द्र, धार्मिक स्थल, चौपाल, स्थानीय बस स्टेण्ड आदि पर वार्डवार चिन्हित एवं नामांकित/अनामांकित बच्चों की सूची चस्पा की जावे।

vi. सर्वे के दौरान चिन्हित बालक–बालिकाओं की सूची वार्डवार, ग्रामवार, संधारित करना तथा सीआरसी कार्यालय के माध्यम से शाला दपर्ण पोर्टल पर अपडेट कराया जावें।

vii. विद्यालय द्वारा गत सत्र के सर्वे की प्रगति की समीक्षा की जाकर सर्वे में शेष रहे अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित किया जावे।

3. सर्वेकर्ता शिक्षक के दायित्व

3.1 हाउस होल्ड सर्वे के अन्तर्गत नामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों सम्बन्धी प्रपत्र में भरी जावे।

3.2 प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जावें एवं कोई कॉलम खाली न रहे।

3.3 आवंटित वार्ड में सुनिश्चित करे की कोई भी घर, ढाणी, वास (हेबीटेशन), पुरबा या अस्थाई परिवार, कोविड–19 के कारण आये मजदूरों के परिवार सर्वे से वंचित न रहे।

3.4 सर्वे कार्य पूरा कर अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों की सूची 3 से 5 वर्ष एवं 5 से 18 वर्ष तक के समूह में सम्बन्धित संस्था प्रधान को जमा करावें।

3.5 चिन्हित बालक–बालिकाओं की सूची शाला दपर्ण पोर्टल पर प्रविष्टि करवाने में सीआरसी कार्यालय को सहयोग करें।

4. सीआरसी स्तर पर किये जाने वाले कार्य

4.1 विद्यालय के अध्यापको, मेन्टर टीचर एवं समस्त अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान/हैड टीचर के साथ आगामी शैक्षणिक वर्ष हेतु तैयारी बैठक की जावे।

4.2 प्रबुद्ध नागरिकों/सक्रिय ग्रामीणों/विद्यालय के पूर्व छात्र जो समान्नित पदो पर कार्यरत है, के साथ विद्यालय में नामांकन हेतु चर्चा की जाकर सहयोग प्राप्त किया जावे।

Scanned with CamScanner

4.3 ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एएनएम/अन्य विभागो के पंचायत स्तरीय कार्मिकों आदि के साथ नामांकन कार्यक्रम को साझा किया जावे एवं हाउस होल्ड सर्वे हेतु पंचायत में वार्डवार नवीनतम निवार्चक नामावली प्राप्त की जावे।

4.4 पंचायत में वार्डवार अध्यापको को नियुक्त किया जाकर हाउस होल्ड सर्वे किये जाने के आदेश प्रसारित किये जावे।

4.5 समस्त संस्था प्रधान/हैड टीचर/ टीचर को निर्देशित करें कि सर्वे के दौरान विद्यालय में नामांकन हेतु अभिभावकों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं राज्य सरकार के विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी जावें।

4.6 वार्डवार नियुक्त अध्यापक द्वारा निर्वाचक नामावली अनुसार एवं नामावली के अतिरिक्त हाउस होल्ड का सर्वे किया जाकर 03 से 05 वर्ष एवं 5 से अधिक, 18 वर्ष के बालक–बालिकाओ की सूची अलग–अलग तैयारी की जावे।

4.7 सर्वे में चिन्हित बालक–बालिकाओं की शाला दपर्ण पोर्टल पर तुरन्त प्रविष्टि/अपडेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

4.8 हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावे एवं चिन्हित बालक–बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जावें।

4.9 चिन्हित अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जावे तथा आवश्यक होने पर विशेष शिक्षण करवाया जाकर आयु अनुसार कक्षा का स्तर प्राप्त किया जावे।

4.10 अपने एवं अधीनस्थ विद्यालयों की एवं निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र में नामांकित 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक–बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं इस बाबत् मेन्टर टीचर अपने विद्यालय में निकटस्थ स्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ के साथ कार्यक्रम में सहयोग हेतु चर्चा करें एवं प्रगति की समीक्षा करें।

5 ब्लॉक स्तर पर किये जाने वाले कार्य

5.1 ब्लॉक स्तर पर नामांकन बढोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु कार्य योजना निर्माण एवं पर्यवेक्षण उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति द्वारा किया जायेगा।

5.2 बैठक में बीडीओ, सीबीईईओ, ब्लॉक आरपी, सीडीपीओ (महिला एवं बाल विकास विभाग),समस्त पीईईओ एवं उत्कृष्ट संस्था प्रधानों द्वारा नामांकन प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजन के सम्बन्ध में सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

5.3 ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी को निर्देशित किया जावे कि समस्त पीईईओ को पंचायत वार्ड वाईज नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवाई जावे।

Scanned with CamScanner

5.4 ब्लॉक स्तरीय निष्पादक समिति बैठक में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामांकन बढोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में लक्ष्य के विरूद्ध की गई प्रगति समीक्षा की जावेगी।

5.5 नामांकन बढोतरी, अनामांकित/ ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु सीआरसी द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य शहरी क्षेत्र से सम्बन्धित सीबीईईओ द्वारा किये जायेगें।

5.6 ब्लॉक स्तर की शहरी क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली के साथ–साथ बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख धार्मिक स्थलों/चौराहो, निर्माणाधीन भवन, बेघर/घुमन्तु/मौसमी पलायन एवं कच्ची बस्ती के परिवारों, पुल के नीचे रहने वाले परिवारों का भी सर्वे किया जाकर 0 से 18 वर्ष के बालक–बालिकाओं को सीबीईईओ द्वारा चिन्हित एवं सूचीबद्ध किया जावे।

5.7 शहरी सीआरसी द्वारा वार्डवार एवं क्षेत्रवार चिन्हित बालक–बालिकाओं को शालादपर्ण पोर्टल पर प्रविष्टि/अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5.8 ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा 2 सदस्य टीम गठित कर अपने ब्लॉक के कम से कम 10 प्रतिशत विद्यार्थियों के सर्वे का रेण्डम वेरीफिकेशन करवाया जावे एवं वेरीफिकेशन रिपोर्ट जिले को प्रस्तुत की जावे।

6. जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्य

6.1 जिला स्तर पर नामांकन बढोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु कार्य योजना निमार्ण एवं पर्यवेक्षण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

6.2 बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि/माशि, उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग,जिला जनसम्पर्क अधिकारी को आमंत्रित किया जाकर कार्यक्रम आयोजन के सम्बन्ध में सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

6.3 मुख्य कार्यकारी जिला परिषद द्वारा समस्त ब्लॉक विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारियो को निर्देशित किया जावे कि समस्त सीआरसी को पंचायत वार्ड वाईज नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवाई जावे ।

6.4 उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समस्त सीडीपीओ के माध्यम से समस्त आंगनबाड़ी पर्यवेक्षको/कार्यकर्ताओ/सहायिकाओ को कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जावे।

6.5 जिला स्तरीय समिति के सदस्य एवं अन्य आमंत्रित सदस्य जिले के अलग–अलग स्थानों पर विद्यालय में आयोजित होने वाले शिक्षा उत्सव कार्यक्रम में यथासम्भव शामिल होकर अभिभावकों को प्रोत्साहित करेंगे।

6.6 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय अधिकरियों की टीमें बनाकर विद्यालयों में नामांकन बढोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित गतिविधियों का सघन पर्यवेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से करवायी जावे।

Scanned with CamScanner

6.7 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दो सदस्य टीम गठित कर अपने जिले के समस्त ब्लॉक के कम से कम 5 प्रतिशत विद्यालयों के सर्वे का रेण्डम वैरिफिकेशन करवाया जावे।

7 गैर सरकारी संस्थाओ की भूमिका

सरकारी विद्यालयों में नामांकन, ड्रॉप आउट/ अनामांकित बालक–बालिकाओं को शिक्षा के मुख्य धारा से जुडने के लिए जिला, ब्लॉक, पंचायत एवं स्थानीय स्तर पर कार्यरत गैर–सरकारी संस्थाओ स्वैच्छिक संस्थाओं/समूह का यथासंभव सहयोग लिया जावे एवं परिषद कार्यालय द्वारा एमओयु की गई एनजीओ उक्त कार्य में विशेष सहयोग प्रदान कर सूचना परिषद कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

8 प्रचार–प्रसार

8.1 नवीन शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।

8.2 कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए प्रचार–प्रसार के लिए मीडिया माध्यमों– प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया आदि का उपयोग किया जावे।

8.3 अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों के विद्यालय में नामांकन हेतु जिला, ब्लॉक एवं पंयायत के मुख्य स्थानों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, मन्दिर, सामुदायिक केन्द्र आदि दीवार लेखन, लाउड स्पीकर, पेम्पलेट विवरण एवं बैनर्स लगाये जाये।

8.4 ग्राम/वार्ड विद्यालयों से वंचित हुए बच्चों को पुनः शिक्षण से जोड़ने के लिए अभिभावको को प्रेरित करे।

9 सराहनीय कार्य करने वाले संस्था प्रधानो/शिक्षको/अभिभावको को प्रोत्साहन

9.1 प्रत्येक विद्यालय/ग्राम पंचायत पर नामांकन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षको को राष्ट्रीय दिवस के कार्यक्रम में सम्मानित किया जावे।

9.2 प्रत्येक पंचायत समिति में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन संस्था प्रधानों/शिक्षकों को उपखण्ड स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जावे।

9.3 प्रत्येक जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले पांच संस्था प्रधानों /शिक्षको जिला स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जावे।

9.4 राज्य स्तर पर शिक्षा संकुल में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रत्येक जिले से श्रेष्ठ कार्य करने वाले एक संस्था प्रधान को सम्मानित किया जावे।

9.5 श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालय/ संस्थाप्रधान/शिक्षक चयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा बनाये गये मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा इस बाबत् परिषद द्वारा अलग से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

9.6 प्रत्येक ब्लॉक के सर्वाधिक नामांकन वाले दो उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक माध्यमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जायेगा।

9.7 प्रत्येक ब्लॉक में वर्तमान सत्र में सर्वाधिक नामांकन वृद्धि करने वाले दो उच्च माध्यमिक विद्यालयों, एक माध्यमिक विद्यालय, एक उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

10 शैक्षिक सत्र 2019–20 में किसी भी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय के नामांकन में अप्रत्याशित कमी आने पर जिम्मेदारी तय की जाकर आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

11 कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्वास्थय विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना अक्षरश की जानी है।

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–1

क्रस	विवरण	कोड संख्या
1	परिवार की निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति।	01
2	स्कूल में शैक्षिक सुविधाओं का अभाव।	02
3	बाल विवाह।	03
4	परिवार का प्रवास।	04
5	बच्चे का लगातार अनुपस्थित रहना।	05
6	अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता।	06
7	बच्चे की शैक्षिक स्थिति कक्षा स्तर से न्यून है।	07
8	बीमारी / स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं / कुपोषण।	08
9	कृषि से संबंधित पारिवारिक कार्यों में संलग्न।	09
10	गैर–कृषि संबंधित पारिवारिक कार्यों में संलग्न।	10
11	परिवार का समर्थन करने के लिए भुगतान किए गए कृषि श्रम कार्य में लगे हुए हैं	11
12	परिवार का समर्थन करने के लिए भुगतान किए गए ईट भट्टा / खनन कार्य में लगे हुए हैं	12
13	परिवार का समर्थन करने के लिए दुकान / होटल में भुगतान किए गए काम में लगे हुए हैं	13
14	परिवार का समर्थन करने के लिए भुगतान से संबंधित निर्माण कार्य (फैक्टरी) में लगे हुए हैं	14
15	भुगतान किए गए अन्य कार्यों में संलग्न ऊपर निर्दिष्ट नहीं हैं	15
16	विकलांगता और सीखने की बाधाएँ।	16
17	स्कूल का अधिक दूरी पर होना।	17
18	बीमार परिवार के सदस्य की देखभाल; माता–पिता / परिवार के सदस्य की मृत्यु	18
19	स्कूल में शारीरिक दंड, धमकाने, हिंसा / दुरुपयोग	19
20	सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में कठिनाई	20
21	स्कूल में कोई महिला शिक्षक नहीं	21
22	विद्यालय में शौचालय और अन्य सुविधाओं की अनुपलब्धता	22
23	स्कूल बिना रैंप, सुलभ शौचालय और CWSN के लिए सुविधाओं का नहीं होना।	23
24	स्कूल में भेदभाव	24
25	सांस्कृतिक मानदंड – परिवार में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक ना होना।	25
26	घर के कामों में व्यस्त	26
27	भाई–बहनों की देखभाल करने में व्यस्त	27
28	COVID–19 के कारण ड्रॉपआउट।	28
29	कोई अन्य कारण निर्दिष्ट नहीं है।	29

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–2

क्र.सं.	विवरण	कोड संख्या
1	खानाबदोश परिवारों के बच्चे	01
2	बाल श्रम	02
3	सफाईकर्मी के बच्चे	03
4	आश्रय / वयस्क संरक्षण के बिना बच्चे	04
5	अन्य	05
6	लागू नहीं	00

परिशिष्ट–3

क्र.सं.	विकलांगता का प्रकार	कोड संख्या
1	दृष्टि दोष	1
2	श्रवण दोष	2
3	मानसिक विमन्दित	3
4	अस्थि दोष	4
5	अधिगम अक्षमता	5
6	बहु विकलांगता	6
7	सरेब्रल पालसी	7
8	अन्य	8
9	लागू नहीं	0

Scanned with CamScanner

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र – 1

जिला – ______________ ब्लॉक का नाम – ______________ सीआरसी विद्यालय का नाम – ______________

ग्राम / वार्ड का नाम – ______________ सर्वे की दिनांक – ______________ विद्यालय का नाम जिसे उस ग्राम / वार्ड की जिम्मेदारी दी गयी है – ______________

क्रम	ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम	गाँव / वार्ड	हैबिटेशन (रहवास)	बालक–बालिका नाम	पिता / अभिभावक / संरक्षक का नाम	माता का नाम	जन्म दिनांक	आयु	लिंग (M/F/T)	वर्ग (SC/ST/SBC/OBC/Gen./Min.)	प्रवेशित कक्षा
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Scanned with CamScanner

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र–1

आधार की स्थिति (हां/नहीं)	यदि हां तो आधार संख्या	शैक्षिक स्थिति			यदि अनामांकित /ड्राप आउट है तो कारण (परिशिष्ट–1 के अनुसार क्रमांक भरें)	विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे (परिशिष्ट–2 के अनुसार क्रमांक भरें)	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN)परिशिष्ट–3 के अनुसार क्रमांक भरें	निजी विद्यालय से आने वाले बच्चे (हां/नहीं)	यदि हां तो विद्यालय का नाम व पता	अभिभावक मो.नं.
		अनामांकित (1)	ड्राप आउट (2)	ड्राप आउट कक्षा (3)						
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W

(हस्ताक्षर)
संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर
विद्यालय का नाम
मोबाइल नं.
सीआरसी को जमा करने की दिनांक

(हस्ताक्षर)
सर्वेकर्ता शिक्षक का नाम एवं पद
विद्यालय का नाम
माबाइल नं.

Scanned with CamScanner